पत्र संख्या : 7ब/4701 यो०ज०सं०–22/13 /122

झारखण्ड सरकार

जल संसाधन विभाग

प्रेषक,

अविनाश कुमार,
सचिव।

सेवा में,

मुख्य अभियंता, राँची,
संबंधित अधीक्षण अभियंता/उप निदेशक (वै०), गुण नियंत्रण प्रमंडल, राँची –सह– निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड।

राँची, दिनांक 20-11-13

विषय :– मॉग संख्या–49–जल संसाधन विभाग के अन्तर्गत मुख्य शीर्ष–4701–मध्यम सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय, उप–मुख्य शीर्ष–80–सामान्य, लघु शीर्ष–796–जन–जातीय क्षेत्रीय उपयोजना, उप शीर्ष–70–ई गवर्नेंश, विस्तृत शीर्ष–07–अन्य व्यय 59 अन्य व्यय के अन्तर्गत व्यय हेतु वित्तीय वर्ष 2013–14 में निधि का आवंटन।

महाशय,

वित्तीय वर्ष 2013–2014 में परिशिष्ट–1 में वर्णित कार्यों पर व्यय हेतु बजट मुख्य शीर्ष **4701–मध्यम सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय** के अंतर्गत दर्शाये गये लघु शीर्ष/उप शीर्ष के अधीन अंकित कार्यालयों को आवंटन संसूचित किया जाता है :–

क्र०	मॉग संख्या/मुख्य शीर्ष/उप मुख्य शीर्ष/ लघु शीर्ष	उप शीर्ष/ विस्तृत शीर्ष/विपत्र कोड़	आवंटित राशि (लाख ₹ में)	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
1.	49–जल संसाधन विभाग/ 4701–मध्यम सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय /80–सामान्य/ 796–जन–जातीय क्षेत्रीय उपयोजना	70–ई–गवर्नेन्स, 07–अन्य व्यय, 59 अन्य व्यय 49P470180796700759	10.35	

आवंटित राशि – ₹ दस लाख पैंतीस हजार मात्र।

---

2. आवंटित राशि वर्ष 2013–2014 के बजट उपबंध **रू० 100.00 लाख (एक करोड़)** मात्र के अंतर्गत है।
3. आवंटित राशि के निकासी की प्रक्रिया एवं शर्तें वित्त विभागीय स्थायी अनुदेश का पत्रांक 2561 वि० (2) दिनांक 17.04.98 एवं 1800 (वि०) दि० 15.07.2003 के आलोक में होगा।
4. आवंटित राशि का व्यय **विभागीय पत्रांक 1/पी०एम०सी०/कार्य/816/2013 41/13–14 प्र० स्वी०, राँची, दिनांकः 10.10.2013 द्वारा प्रदत्त** प्रशासनिक स्वीकृति के क्रम में तकनीकी स्वीकृति के अनुरूप किया जायेगा।
5. संबंधित अधीक्षण अभियंता एवं मुख्य अभियंता अपने परिक्षेत्राधीन कार्यों की भौतिक एवं वित्तीय समीक्षा स्वयं करेंगे एवं यह सुनिश्चित करेंगे कि व्यय निर्धारित नियमों के अनुरूप हो।
6. राशि की निकासी के पूर्व संबंधित विपत्र/चेक पर निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा इस प्रसंगाधीन आवंटन आदेश की संख्या एवं तिथि का उल्लेख करना होगा, जिसके आधार पर संबंधित विपत्र/चेक में निहित राशि की निकासी की जा रही है। साथ ही इस आशय का प्रमाण पत्र भी विपत्र/चेक पर अंकित करना होगा कि विपत्र में निहित राशि बजट उपबंध तथा आवंटित राशि के अधीन है और राशि की निकासी के लिए संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी स्वयं सक्षम पदाधिकारी है। प्रत्येक विपत्र/चेक के साथ संबंधित आवंटन आदेश की अभिप्रमाणित प्रति निकासी एवं व्ययन पदाधिकरी द्वारा अनिवार्य रूप से संलग्न की जायेगी।

(सुरेश प्रसाद भगत)	(एम०एस० चौरसिया)	(सुबोध कुमार सिन्हा)
सहायक अभियंता	उप सचिव (अभि०)	संयुक्त सचिव (अभि०)

7. सरकारी नियम / अधिनियम यथा वन संरक्षण अधिनियम 1980 आदि का उल्लंघन नहीं हो यह सुनिश्चित किया जाय।
8. राशि की निकासी कर उसे चालू / बचत खाता में नहीं रखा जाय।
9. आवंटित राशि से दायित्व का भुगतान या अन्य मद में व्यय बिना अनुमति के नहीं किया जाय।
10. जिस शीर्ष के अंतर्गत उपर्युक्त राशि आवंटित की जा रही है, निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी उसी शीर्ष के अंतर्गत भारित करेंगें। प्रत्येक निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी पूर्णतः सुनिश्चित हो लेंगें कि इकाईवार व्यय की सीमा किसी भी परिस्थिति में संबंधित इकाई के अंतर्गत आवंटित राशि से अधिक नहीं हो, अन्यथा अधिकाई व्यय की पूरी जवाबदेही संबंधित पदाधिकारी पर होगी।
11. बिहार वित्तीय नियमावली (भाग–1) के नियम 473 एवं 475 में विहित निदेश / वित्तीय नियमावली बजट मैनुअल / सचिवालय अनुदेश तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों में विहित प्रावधानों तथा राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर निर्गत अनुदेशों का दृढ़तापूर्वक अनुपालन किया जाना संबंधित मुख्य अभियंता / अधीक्षण अभियंता / कार्यपालक अभियंता का दायित्व होगा।
12. प्रत्येक निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित शीर्षान्तर्गत हुए व्यय का सत्यापन नियमानुसार त्रैमासिक रूप से महालेखाकार रॉंची के साथ निश्चित रूप से कराते रहेंगे तथा व्यय प्रतिवेदन एवं सत्यापन विवरणी विभाग को समर्पित करेंगे।
13. विभिन्न इकाई मदों में आवंटित राशि से यदि राशि बच जाती है तो उसका इकाईवार प्रत्यर्पण 31 जनवरी 2014 तक निश्चित रूप से कर देंगे।

नोट : यह आवंटनादेश जल संसाधन विभाग के वेब साईट (http://www.wrdjharkhand.nic.in) पर भी उपलब्ध है।

अनुलग्नक–यथोक्त

(अविनाश कुमार)
सचिव

ज्ञापांक :– 122 रॉंची, दिनांक :– 20-11-13

प्रतिलिपि :– महालेखाकार (लेखा एवं हक०) झारखण्ड पो० – **हिनू, रॉंची / कोषागार पदाधिकारी, रॉंची / डोरण्डा** सहित राज्य के सभी कोषागार एवं उपकोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक–यथोक्त

(अविनाश कुमार)
सचिव

ज्ञापांक :– 122 रॉंची, दिनांक :– 20-11-13

प्रतिलिपि :– प्रधान सचिव, वित्त विभाग / संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त / संबंधित उपायुक्त / सचिव योजना एवं विकास विभाग / माननीय मंत्री के आप्त सचिव जल संसाधन विभाग / आंतरिक वित्तीय सलाहकार जल संसाधन विभाग / मुख्य अभियंता (मो०) रॉंची / अभियंता प्रमुख –I एवं II जल संसाधन विभाग / संयुक्त सचिव (अभि०) / उप सचिव (अभि०) जल संसाधन विभाग को पॉच प्रति / प्रशाखा–7 को दस अतिरिक्त प्रतियों में / सांख्यिकी पदाधिकारी जल संसाधन विभाग / प्रधान सचिव के सचिव, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, रॉंची / वेब सूचना प्रबंधक, जल संसाधन विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनु० :– यथोक्त

(सुरेश प्रसाद भगत)	(एम०एस० चौरसिया)	(सुबोध कुमार सिन्हा)	**(अविनाश कुमार)**
सहायक अभियंता	उप सचिव (अभि०)	संयुक्त सचिव (अभि०)	**सचिव**

विभागीय पत्रांक :– 122 दिनांक :– 20-11-13 परिशिष्ट :– 1

मॉग संख्या–49–जल संसाधन विभाग

मुख्य शीर्ष–4701 मध्यम सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय,

उप–मुख्य शीर्ष–80–सामान्य,

लघु शीर्ष –796–जन–जातीय क्षेत्रीय उपयोजना

उप शीर्ष –70–ई गवर्नेंश

विस्तृत शीर्ष–07–अन्य व्यय 59 अन्य व्यय, 49P470180796700759

वित्तीय वर्ष 2013–14 में बजट उपबंध 100.00 लाख (एक करोड) रूपये मात्र। राशि लाख ₹ में

क्र॰ सं॰	कार्यालय का नाम	मुख्य अभियंता	योजना का नाम	प्रशासनिक स्वीकृति का प्रसंग / राशि		मार्च 2013 तक व्यय	वर्ष 2013–14 में निर्गत आवंटन			अभ्युक्ति
							पूर्व का आवंटन	वर्त्तमान आवंटन	कुल आवंटन	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	गुण नियंत्रण प्रमंडल, राँची	राँची	ई॰ गवर्नेंश के अन्तर्गत विभाग में कार्यरत प्रशाखा प्रभारी एवं सहायकों हेतु कम्प्यूटर एवं स्कैनर का क्रय	1 / पी॰एम॰सी॰ / विविध / 816 / 2013 41 / 13–14 प्र॰स्वी॰ राँची दिनांक 10.10.2013	**10.35**	0.00	0.00	10.35	10.35	आवंटित राशि परिशिष्ट–2 में वर्णित कार्य हेतु
					कुल योग	**0.00**	**0.00**	**10.35**	**10.35**	
आवंटित राशिः– ₹ दस लाख पैतीस हजार मात्र।										

(सुरेश प्रसाद भगत)
सहायक अभियंता

(एम॰एस॰ चौरसिया)
उप सचिव (अभि॰)

(सुबोध कुमार सिन्हा)
संयुक्त सचिव (अभि॰)

(अविनाश कुमार)
सचिव

पत्रांक :– ....122.......... दिनांक.........20-11-13......... का अनुलग्नक   परिशिष्ट – 2

विपत्र कोर्ड – 49P470180796700759

क्र०	प्रमंडल का नाम	योजना का नाम		कार्य का विवरण	संख्या	अधिष्ठापन का स्थान	राशि (लाख ₹ में)	अभ्युक्ति
1	2	3		4	5	6	7	8
1	गुण नियंत्रण प्रमंडल, राँची।	ई० गवर्नेंश के अन्तर्गत विभाग में कार्यरत प्रशाखा प्रभारी एवं सहायकों हेतु कम्प्यूटर एवं स्कैनर का क्रय	1	HCL Beanstalk ADIV0028 (Desktop) (2nd Gen. Intel Core i3 - 2120 Processor, 2 GD DDR III RAM, 47 cm LEB Backlit Display. DVD Writer &3 year McAfee Antivirus) with U.P.S)	25 Nos.	श्री अवधेश कुमार शर्मा, अवर सचिव, प्रशाखा प्रभारी –5 / श्री संजय शरण, अवर सचिव, प्रशाखा प्रभारी –6 एवं 8 / श्री ब्रहमदेव मोदी, प्रशाखा प्रभारी –14 / श्री संजय सिन्हा, प्रशाखा प्रभारी –3 / श्री दीपक कुमार तिर्की, सहायक प्रशाखा –1 / श्री अनुराग रवि कुजुर, सहायक प्रशाखा –2 / श्री महेन्द्र टोप्पो, सहायक प्रशाखा –3 / श्री रमा कान्त मुंडा, सहायक प्रशाखा –4 / श्री हीरा लाल महतो, सहायक प्रशाखा –5 / श्री अतुल तिर्की, सहायक प्रशाखा –6 / श्री बैद्यनाथ झा, अवर सचिव प्रभारी SCPG RAMS कोषांग / सुश्री अनामिका बा, सहायक प्रशाखा–1 / सुश्री श्वेता निशा मिंज, सहायक प्रशाखा–2 / श्री इंदर भेंगरा, सहायक प्रशाखा–3 / सुश्री कुमारी रश्मी मिश्रा, सहायक प्रशाखा–4 / सुश्री गायत्री बेसरा, सहायक शाखा–5 / श्री अमित कुमार, सहायक प्रशाखा –6 / श्री डब्लू कुमार गुप्ता, सहायक प्रशाखा –7 / सुश्री मेरी मिताली मुर्मू, सहायक प्रशाखा–8 / सुश्री स्वाती प्रिया, सहायक प्रशाखा–8 / सुश्री ममता झरना एक्का, सहायक प्रशाखा–9 / श्री विनय कुमार टोप्पो, सहायक प्रशाखा–10 / श्री शानी मुशर्रफ हुसैन, सहायक प्रशाखा–11 / सुश्री रूबी कच्छप, सहायक प्रशाखा–13 / श्री पप्पू कुमार, सहायक प्रशाखा–14	10.00	
			2	Document Scanner (A4 Size) Resolution (in DPI) 1200 X 1200	10 Nos	जल संसाधन विभाग के विभिन्न प्रशाखा प्रभारी एवं सहायको हेतु	0.35	
				Total			**10.35**	

कुल राशिः– ₹ दस लाख पैतीस हजार मात्र।

(सुरेश प्रसाद भगत)	(एम०एस० चौरसिया)	(सुबोध कुमार सिन्हा)	**(अविनाश कुमार)**
सहायक अभियंता	उप सचिव (अभि०)	संयुक्त सचिव (अभि०)	**सचिव**